**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

<u>ORIGINAL APPLICATION NO.562 OF 2024</u>

<u>IN THE MATTER OF:</u>
ANSHUMAN UPADHYAY .... **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. & ORS. .... **RESPONDENTS**

<u>INDEX</u>

Sl. No.	Particulars	Pages
1.	Additional Affidavit on behalf of Uttar Pradesh Pollution Control Board.	1 – 3
2.	**<u>ANNEXURE-1</u>** True copy of them Report Dated10.09.2024	4 – 7
3.	**<u>ANNEXURE-2</u>** True copy of showcause notice Dated 12.09.24	8 – 9
4.	**<u>Annexure-3</u>** True copy of the inspection report date 21.09.20024	10 – 15
5.	**<u>ANNEXURE-4</u>** True copy of the knowledge park-III. plank	16– 19
6	**<u>ANNEXURE-5</u>** Photocopy of the Said Plant	20 – 21
7	**<u>ANNEXURE-6</u>** True copy of the reply dated 21.09.2024	22– 24

NEW DELHI
DATED: 24.09.2024

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 562 OF 2024

IN THE MATTER OF:

ANSHUMAN UPADHYAY ..... **APPLICANT**

VERSUS

STATE OF U.P. ..... **RESPONDENT**

RESPONSE ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD

I, Deo Kumar Gupta, S/o. Shri B.P. Gupta, aged about 56 years, Regional Officer, U.P. Pollution Control Board, Greater NOIDA, U.P. at present at New Delhi do hereby solemnly affirm and state as follows:

1. That I in the abovenoted capacity am well conversant with the facts of the present case and have been authorized by the U.P. Pollution Control Board to file the present affidavit on its behalf.

2. That I have read the abovenoted Original Application and have understood the same fully.

3. That the abovenoted matter came up for hearing on 21.08.2024 when this Hon'ble Tribunal issued notice to Respondents.

4. That in compliance of the said order the present response on behalf of U.P. Pollution Control Board is being filed.

5. That on 05.07.2024 this Hon'ble Tribunal has constituted a Joint Committee of District Magistrate, Gautambudh Nagar and U.P. Pollution Control Board to submit a factual report. Accordingly, a factual report was submitted by District Magistrate on 20.08.2024.

6. That the said report was considered by this Hon'ble Court on 21.08.2024 and notices have been issued to Respondent. Hence, the

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC RENU BALA Reg. No. 16727 EXP: 31/01/25 Delhi GOVT. OF INDIA

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC RENU BALA Reg. No. 16727 EXP: 31/01/25 Delhi GOVT. OF INDIA

present response is being filed on behalf of U.P. Pollution Control Board.

7. That the temporary site at Lakhnawali was inspected by the officers of Regional Office, Greater NOIDA of U.P. Pollution Control Board on 07.09.2024 wherein it has been found that about 395582.58 MT legacy waste has been dumped at site. The waste has been found dumped in mixed state. There is no boundary wall at the site. True copy of inspection report dated 10.09.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-1**.

8. That on the basis of inspection recommendations have been made to the head office of U.P. Pollution Control Board for imposition of Environmental Compensation on Greater NOIDA Industrial Development Authority.

9. That pursuant to the said recommendations, the headquarter vide letter dated 12.09.2024 has issued showcause to Senior Manager, Health, Greater NOIDA Industrial Development Authority to showcause as to why a Compensation of Rs. 29 lakhs be not imposed. True copy of said showcause notice is being enclosed herewith and marked as **Annexure-2**.

10. That U.P. Pollution Control Board has also inspected the MSW site at Astauli on 21.09.2024 wherein it was found that boundary wall at the site has been construction and construction has been started for setting up ready mix plant for establishment of torrefied charcoal plant by NTPC Vidyut Vyapar Nigam Ltd. During the inspection some machinery has been found at site. True copy of inspection report dated 21.09.2024 is being enclosed herewith and marked as **Annexure-3**.

11. That it is further submitted that Greater NOIDA Industrial Development Authority has installed 18 TPD Bio-CNG plant for treatment of MSW at

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC ★ INDIA ★ GOVT. OF INDIA ★ RENU BALA Reg. No. 16721 Delhi EXP.: 31.05.25

Knowledge Park-III which is in operation. A photocopy of the said plant is being enclosed herewith and marked as **Annexure-4**.

12. That besides this Greater NOIDA authority has installed 10 TPD bio-composting plant at sector Mu which is operational. A photocopy of the said plant is being enclosed herewith and marked as **Annexure-5**.

13. That another 10 TPD bio-composting plant has been installed in Sector Eco-Tech 12 which is also operational.

14. That the Regional Office, U.P. Pollution Control Board, Greater NOIDA has issued a letter dated 20.09.2024 to Greater NOIDA Industrial Development Authority wherein information/report has been called about temporary Municipal Solid Waste Site, Lakhnawali. In reference to that letter the Greater NOIDA authority has sent a reply dated 21.09.2024. True copy of the same is being enclosed herewith and marked as **Annexure-6**.

The above facts are being placed for kind consideration of this Hon'ble Tribunal.

23.9.24

DEPONENT

VERIFICATION:

I, the abovenamed deponent do hereby verify that the contents of above affidavit are true to my knowledge derived from official record. No part of the same is false and nothing material has been concealed therefrom.

VERIFIED ON THIS THE 23RD DAY OF SEPTEMBER, 2024 AT NEW DELHI.

23.9.24

DEPONENT

THE SEAL OF NOTARY PUBLIC RENU BALA Reg. No. 16727 EXP: 31/01/25 Delhi GOVT. OF INDIA

ATTESTED

RENU BALA REG No. 16727
NOTARY DELHI, EXP: 14/02/25
GOVERNMENT OF INDIA

3 23 SEP 2024

Annexure - I

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 562/2024 अंशुमन उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के अनुपालन में अस्थाई नगरीय ठोस अपशिष्ट साईट, लखनावली की निरीक्षण आख्या।

कृपया उक्त साईट का नवीनतम निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा दिनांक 07.09.2024 को श्री विनय पाण्डे (8840083230), ए0जी0एम0, मेसर्स भूमि ग्रीन एनर्जी की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स भूमि ग्रीन एनर्जी द्वारा मशीनरी स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर पाया गया। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 562/2024 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 385/एन0जी0टी0/ओ0ए0 नं0–562/2024 दिनांक 11.07.2024 द्वारा जिला प्रशासन एवं राज्य बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की गयी। तत्क्रम में समिति के सदस्य अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में अधोहस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा अस्थाई नगरीय ठोस अपशिष्ट साईट, लखनावली का निरीक्षण दिनांक 17.08.2024 को श्री चेतराम सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की उपस्थिति में किया गया था। विस्तृत आख्या निम्नवत् है–

1. उक्त प्रश्नगत स्थल (अस्थाई नगरीय ठोस अपशिष्ट साईट, लखनावली), जो ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत जनित होने वाले नगरीय ठोस अपशिष्ट के अस्थाई भण्डारण के रूप में ग्राम–लखनावली के पास भूखण्ड संख्या–5 है, जिसका क्षेत्रफल 1,72,904.737 वर्ग मीटर है।
2. निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर वर्षो से नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प किया जा रहा है एवं वर्तमान तक उक्त स्थल पर लगभग 395582.58 मी0टन लीगेसी वेस्ट डम्प है।
3. निरीक्षण के दौरान स्थल पर मिश्रित कचरे का भण्डारण पाया गया एवं स्थल के चारो ओर बाउंड्री वाल स्थित नही है।
4. निरीक्षण के समय लिये गये फोटोग्राफ्स निम्नवत् है–

Vivek

4

5. निरीक्षण के दौरान स्थल पर कूड़े से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु Anti odour chemicals का छिड़काव होता नही पाया गया, जिससे आस–पास के निवासियों को दुर्गंध से समस्या होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के दौरान स्थल के आस–पास दुर्गंध की समस्या पायी गयी।
6. निरीक्षण के दौरान स्थल पर leachate एकत्रित पाया गया।
7. निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट को भी उक्त स्थल पर डम्प किया जा रहा है।
8. निरीक्षणोपरान्त ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा अपने पत्र दिनांक 17.08.2024 के माध्यम से लीगेसी वेस्ट के निस्तारण किये जाने का विवरण प्रेषित किया गया, जो निम्नानुसार है–

प्रथम फेज

- दिनांक 29.09.2021 से दिनांक 28.09.2023 के मध्य लखनावली में डम्प लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु M/s AL Waste Bio-Remediation LLP को निविदा अवार्ड की गयी थी। उक्त फर्म द्वारा 2,57,491.6 मी0टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण उक्त अवधि में किया गया।

द्वितीय फेज

- M/s AL Waste Bio-Remediation LLP को अवार्ड की गयी निविदा की अवधि समाप्त होने से पूर्व मै0 हबीब सर्वे एण्ड डिजाइन प्रा0लि0 के माह दिसम्बर, 2022 में किये गये सर्वे के अनुसार उक्त स्थल पर कुल लीगेसी वेस्ट की मात्रा 2,22,662.587 मी0टन आंकलित हुई। प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत नगरीय ठोस अपशिष्ट की मात्रा 262 मी0टन/दिन जनित होने को आधार मानते हुए दिसम्बर, 2022 से अक्टूबर, 2024 तक कुल 22 माह में एकत्रित होने वाले फ्रेश वेस्ट की मात्रा 1,72,920.00 मी0टन आंकलित हुई।
- उक्त के अनुसार कुल सम्भावित लीगेसी वेस्ट की मात्रा 3,95,582.58 मी0टन मानते हुये उक्त के निस्तारण हेतु सर्व न्यूनतम निविदादाता फर्म M/s Bhoomi Green Energy को प्राधिकरण के पत्र संख्या स्वा0वि0/2024/852 दिनांक 06.08.2024 द्वारा कार्य अवार्ड किया गया है। उक्त कार्य 15 माह के अन्दर सम्पादित किया जाना प्रस्तावित है।
- लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु प्राधिकरण के आर0एफ0पी0 के शर्त के अनुसार कार्य अवार्ड होने के 45 दिन के अन्दर T&P/Plant स्थापित कर कार्य प्रारम्भ किया जाना है।
- अग्रेतर पूर्व से एकत्रित लीगेसी वेस्ट लगभग 4.0 लाख मी0टन के निस्तारण में लगने वाले समय 15 माह के दौरान फ्रेश वेस्ट की मात्रा लगभग 2.0 लाख मी0टन आने के अनुमान के दृष्टिगत उक्त फर्म से ही कुल लगभग 6.0 लाख मी0टन कूड़े के निस्तारण हेतु अनुबन्ध किया गया है, जिससे प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत अन्य जगहों पर लीगेसी वेस्ट एकत्रित न हो।
- उक्त के अतिरिक्त ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट के निस्तारण हेतु 18 टी0पी0डी0 क्षमता का बायो सी0एन0जी0 एवं 10 टी0पी0डी0 क्षमता का कम्पोस्टिंग प्लांट संचालित है तथा 10–10 टी0पी0डी0 क्षमता के दो कम्पोस्टिंग प्लाट निर्माणाधीन है, जिसे अक्टूबर–2024 में प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है।
- ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा ग्राम–अस्तौली में 126 एकड़ भूमि पर स्थायी ठोस अपशिष्ट निस्तारण की व्यवस्था के अन्तर्गत Torrefied Charcoal के उत्पादन हेतु मै0 एन0टी0पी0सी0 के साथ एम0ओ0यू0 किया जा चुका है एवं उक्त स्थल की बाउन्ड्रीवाल तथा गेट की निर्माण पूर्ण हो चुका है।

9. कार्यालय अभिलेखो के अनुसार M/s NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited द्वारा Torrefied Charcoal- 900 TPD के उत्पादन हेतु ग्राम–अस्तौली में स्थापनार्थ राज्य बोर्ड के पत्रांक 192227/UPPCB/GreaterNoida(UPPCBRO)/CTE/GREATER NOIDA/2023 Dated:- 07/02/2024 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किया गया है।
10. कार्यालय अभिलेखो के अनुसार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या 606/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 में लीगेसी वेस्ट के रेमिडियेशन तथा सुरक्षित कार्यवाही प्रारम्भ नही किये जाने की स्थिति में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच50633/सी–7/ओ0ए0 606/2018/20 दिनांक 07.07.2020 द्वारा दोषी नगर निकायों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है।
11. उक्त कारण बताओं नोटिस की प्रति को इस कार्यालय के पत्रांक 200/सा0–43/20 दिनांक 21.07.2020 द्वारा ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्रेषित किया गया है, जिसके क्रम में प्राधिकरण द्वारा अपने पत्रांक डी0जी0एम0 (प्राजेक्ट/स्वास्थ्य)/2020/582 दिनांक 29.07.2020 के द्वारा प्रतिउत्तर प्रेषित किया गया है, प्राप्त प्रतिउत्तर की प्रति संलग्न है।
12. मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 में ठोस अपशिष्ट के नियमानुसार प्रसंस्करण एवं निस्तारण नहीं किये जाने की स्थिति में नगर निकायों पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की दर निर्धारित है। मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं–

"a. In view of the fact that most of the statutory timelines have expired and directions of the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal to comply with Solid Waste Management Rules, 2016 remain unexecuted, compensation scale is hereby laid down for continued failure after 31.03.2020. The compliance of the Rules requires taking of several steps mentioned in Rule 22 from Serial No. 1 to 10 (mentioned in para 12 above). Any such continued failure will result in liability of every Local Body to pay compensation at the rate of Rs. 10 lakh per month per Local Body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakhs per month per local body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other Local Body from 01.04.2020 till compliance. If the Local Bodies are unable to bear financial burden, the liability will be of the State Governments with liberty to take remedial action against the erring Local Bodies. Apart from compensation, adverse entries must be made in the ACRs of the CEO of the said Local Bodies and other senior functionaries in Department of Urban Development etc. Who are responsible for compliance of order of this Tribunal."

13. विकिपिडिया पर उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार ग्रेटर नोएडा में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या 1,07,676 है।

14. बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक एच50633/सी–7/ओ0ए0 606/2018/20 दिनांक 07.07.2020 द्वारा दोषी नगर निकायों पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986

की धारा–5 के अन्तर्गत कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया है, जिसके अनुसार पर्यारणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की गणना निम्नवत् है–

क्र0सं0	वर्ष	कुल महीने	टिप्पणी
1.	01.04.2020 से	09	
2.	2021	08	प्राधिकरण द्वारा दिनांक 29.09.2021 से लीगेसी वेस्ट के प्रोसेस हेतु प्लान्ट का संचालन प्रारम्भ किया गया।
3.	2023	03	प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28.09.2023 के उपरान्त लीगेसी वेस्ट के प्रोसेस हेतु प्लान्ट बन्द कर दिया गया।
4.	सितम्बर, 2024	09	प्रश्नगत स्थल के नवीनतम निरीक्षण दिनांक 07.09.2024 में लीगेसी वेस्ट के प्रोसेस हेतु मशीनरी स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर पाया गया एवं माह अक्टूबर, 2024 से पुनः प्रारम्भ किया जाना सम्भावित है।
	कुल माह	29	

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रेटर नोएडा की आबादी 05 लाख से कम है, जिसके दृष्टिगत मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 606/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 के अनुसार 05 लाख की आबादी से कम होने पर रू0 1 लाख प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपण किये जाने का उल्लेख है। उक्त के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के विरूद्ध मा0 अधिकरण द्वारा पारित आदेशो का अनुपालन न किये जाने की अवधि हेतु रू0 1 लाख प्रतिमाह की दर से पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना उचित होगा, जिसकी गणना निम्नवत् है–

पर्यारणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन= कुल महीने x 01 लाख प्रतिमाह (05 लाख से कम आबादी होने की दशा में)
= 29 x Rs. 01 Lakh = Rs. 29,00,000/- (Rupees Twenty Nine Lakhs Only)

उपरोक्तानुसार मा0 अधिकरण द्वारा आदेशो के आलोक में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण पर नगरीय ठोस अपशिष्ट/लीगेसी वेस्ट के समुचित निस्तारण एवं प्रबन्धन सुनिश्चित न किये जाने के दृष्टिगत रू0 29,00,000/– (रू0 उन्तीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

(विवेक कुमार)
सहायक पर्यावरण अभियंता

(रणजीत सिंह)
सहायक पर्यावरण अभियंता

(डी0के0 गुप्ता)
क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्य **पर्यावरण अधिकारी** (वृत्त–1)

Annexure-2

UPPCB

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

H17194

Ref No- /C-1/एन0जी0टी0-273/पर्या0क्षति0-का0ब0नो0/2024 **Date:** 12-9-24

सेवा में, **पंजीकृत**

वरिष्ठ प्रबन्धक (स्वास्थ्य),
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4,
ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
मो0 नं0-9205691289

यह कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0-01, नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर जो कि इकाई है तथा ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं निस्तारण हेतु अस्थाई नगरीय ठोस अपशिष्ट साईट, लखनावली पर संचालित है, जिसे आगे इकाई कहा जायेगा तथा जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 47 के अंतर्गत एक कम्पनी है।

यह कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 562/2024 अंशुमन उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के अनुपालन में अस्थाई नगरीय ठोस अपशिष्ट साईट, लखनावली की निरीक्षण आख्या प्रेषित की गयी। उक्त साईट का नवीनतम निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा दिनांक 07.09.2024 को श्री विनय पाण्डे, ए0जी0एम0, मेसर्स भूमि ग्रीन एनर्जी की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण के दौरान मेसर्स भूमि ग्रीन एनर्जी द्वारा मशीनरी स्थापित किये जाने का कार्य प्रगति पर पाया गया। कार्यालय अभिलेखों के अनुसार मा0 अधिकरण में योजित ओ0ए0 संख्या 562/2024 में पारित आदेश दिनांक 05.07.2024 के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पत्रांक 385/एन0जी0टी0/ ओ0ए0 नं0-562/2024 दिनांक 11.07.2024 द्वारा जिला प्रशासन एवं राज्य बोर्ड के अधिकारियों की संयुक्त समिति गठित की गयी। तत्क्रम में समिति के सदस्य अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), गौतमबुद्धनगर की अध्यक्षता में क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारियों द्वारा अस्थाई नगरीय ठोस अपशिष्ट साईट, लखनावली का निरीक्षण दिनांक 17.08.2024 को श्री चेतराम सिंह, वरिष्ठ प्रबन्धक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण की उपस्थिति में किया गया था। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त स्थल पर वर्षो से नगरीय ठोस अपशिष्ट डम्प किया जा रहा है एवं वर्तमान तक उक्त स्थल पर लगभग 395582.58 मी0टन लीगेसी वेस्ट डम्प है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर मिश्रित कचरे का भण्डारण पाया गया एवं स्थल के चारो ओर बाउंड्री वाल स्थित नही है। निरीक्षण के दौरान स्थल पर कूड़े से जनित दुर्गंध के नियंत्रण हेतु Anti odour chemicals का छिड़काव होता नही पाया गया, जिससे आस-पास के निवासियों को दुर्गंध से समस्या होना स्वाभाविक है। निरीक्षण के दौरान स्थल के आस-पास दुर्गंध की समस्या पायी गयी। निरीक्षण के दौरान स्थल पर leachate एकत्रित पाया गया। निरीक्षण के दौरान उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत वर्तमान में जनित नगरीय ठोस अपशिष्ट को भी उक्त स्थल पर डम्प किया जा रहा है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-606/2018 Compliance of Municipal Solid Waste Management Rules, 2016 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 में ठोस अपशिष्ट के नियमानुसार प्रसंस्करण एवं निस्तारण नहीं किये जाने की स्थिति में नगर निकायों पर कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, जिसमें पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की दर निर्धारित है। मा0 अधिकरण के उपरोक्त आदेश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं-

"a. In view of the fact that most of the statutory timelines have expired and directions of the Hon'ble Supreme Court and this Tribunal to comply with Solid Waste Management Rules, 2016 remain unexecuted, compensation scale is hereby laid down for continued failure after 31.03.2020. The compliance of the Rules requires taking of several steps mentioned in Rule 22 from Serial No. 1 to 10 (mentioned in para 12 above). Any such continued failure will result in liability of every Local Body to pay compensation at the rate of Rs. 10 lakh per month per Local Body for population of above 10 lakhs, Rs. 5 lakhs per month per local body for population between 5 lakhs and 10 lakhs and Rs. 1 lakh per month per other Local Body from 01.04.2020 till compliance. If the Local Bodies are unable to bear financial burden, the liability will be of the State Governments with liberty to take remedial action against the erring Local Bodies. Apart from compensation, adverse entries must be made in the ACRs of the CEO of the said Local Bodies and other senior functionaries in Department of Urban Development etc. Who are responsible for compliance of order of this Tribunal."

.........2/-

तदनुसार क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा मा0 एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या 606/2018 मे वर्णित आदेश दिनांक 10.01.2020 के अनुसार ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0–01, नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरूद्ध दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 29.09.2021 तक 17 माह, दिनांक 29.09.2023 से 07.09.2024 तक 12 माह कुल 29 माह हेतु रू0 1,00,000x29 Months=29,00,000/- (रू0 उन्तीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित अधिरोपित किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा प्रेषित आख्या दिनांक 10.09.2024 के दृष्टिगत जन स्वास्थ्य के हित में जन साधारण को स्वच्छ वातावरण प्रदान करने हेतु सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0–01, नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है।

1. यह कि क्यों न मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0 606/2018 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2020 के अनुपालन में ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0–01, नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर के विरूद्ध दिनांक 01.04.2020 से दिनांक 29.09.2021 तक 17 माह, दिनांक 29.09.2023 से 07.09.2024 तक 12 माह कुल 29 माह हेतु रू0 1,00,000x29 Months=29,00,000/- (रू0 उन्तीस लाख मात्र) की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाये?

उपरोक्त के संबंध में स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के एक सप्ताह के अन्तर्गत बोर्ड मुख्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, गाजियाबाद को प्रेषित करें, अन्यथा की दषा में उपरोक्त कारण बताओ नोटिस की पुष्टि कर दी जायेगी, जिसका समस्त उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त पत्र निर्गमन हेतु अधिकृत।

भवदीय,

(विवेक राय)
मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नोएडा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण, प्लॉट नं0–01, नॉलेज पार्क–4, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर को जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति अपने स्तर से भी प्राप्त कराकर एक सप्ताह में सुस्पष्ट संस्तुति सहित निरीक्षण आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अभियन्ता, वृत्त–1

Annexure-3

Inspection/present status report of permanent MSW site, Astauli, Greater Noida, Gautambuddh Nagar.

In compliance of order passed by Hon'ble National Green Tribunal on 21.08.2024 in O.A. No. 562/2024 in the matter of Anshuman Upadhyay Vs State of U.P, inspection of the permanent MSW site, Astauli was carried out on dt. 21.09.2024. Report is as follows:-

I. During inspection, it was found that boundary wall of the site has constructed and construction work has been started for setting up Ready Mix Plant for establishment of Torrefied Charcoal Plant of M/s NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited.

II. During inspection, some machinery related to the batching plant was found at the site.

III. Photographs taken during inspection are annexed as **Annexure-1.**

Inspection report is being submitted for necessary action please.

21/9/24
(Ranjeet Singh)
Assistant Environmental Engineer

21.9.24
(D.K. Gupta)
Regional Officer

Photographs taken during site inspection of Astauli MSW site on dated 21.09.2024.

Latitude: 28.377512
Longitude: 77.663956
Elevation: 208.2±4 m
Accuracy: 4.3 m
Time: 21-09-2024 13:55
Note: MSW Site Astauli
Powered by NoteCam

Latitude: 28.378106
Longitude: 77.662673
Elevation: 219.74±7 m
Accuracy: 6.5 m
Time: 21-09-2024 13:50
Note: MSW Site Astauli
Powered by NoteCam

Latitude: 28.378243
Longitude: 77.662761
Elevation: 228.85±4 m
Accuracy: 8.7 m
Time: 21-09-2024 13:48
Note: MSW Site Astauli
Powered by NoteCam

Latitude: 28.378243
Longitude: 77.662761
Elevation: 228.85±4 m
Accuracy: 8.7 m
Time: 21-09-2024 13:48
Note: MSW Site Astauli
Powered by NoteCam

Latitude: 28.378335
Longitude: 77.662886
Elevation: 212.77±6 m
Accuracy: 4.3 m
Time: 21-09-2024 13:47
Note: MSW Site Astauli
Powered by NoteCam

Latitude: 28.378329
Longitude: 77.662888
Elevation: 212.49±7 m
Accuracy: 5.4 m
Time: 21-09-2024 13:47
Note: MSW Site Astauli
Powered by NoteCam

Latitude: 28.378298
Longitude: 77.662892
Elevation: 228.85±4 m
Accuracy: 10.4 m
Time: 21-09-2024 13:46
Note: MSW Site Astauli
Powered by NoteCam

Latitude: 28.379799
Longitude: 77.661093
Elevation: 215.48±4 m
Accuracy: 7.7 m
Time: 21-09-2024 14:01
Note: MSW Site Astauli
Powered by NoteCam

Annexure-1

Photograph of Bio gas CNG compressed plant using as raw material of MSW 18 TPD at Knowledge Park-III, Greater Noida

12

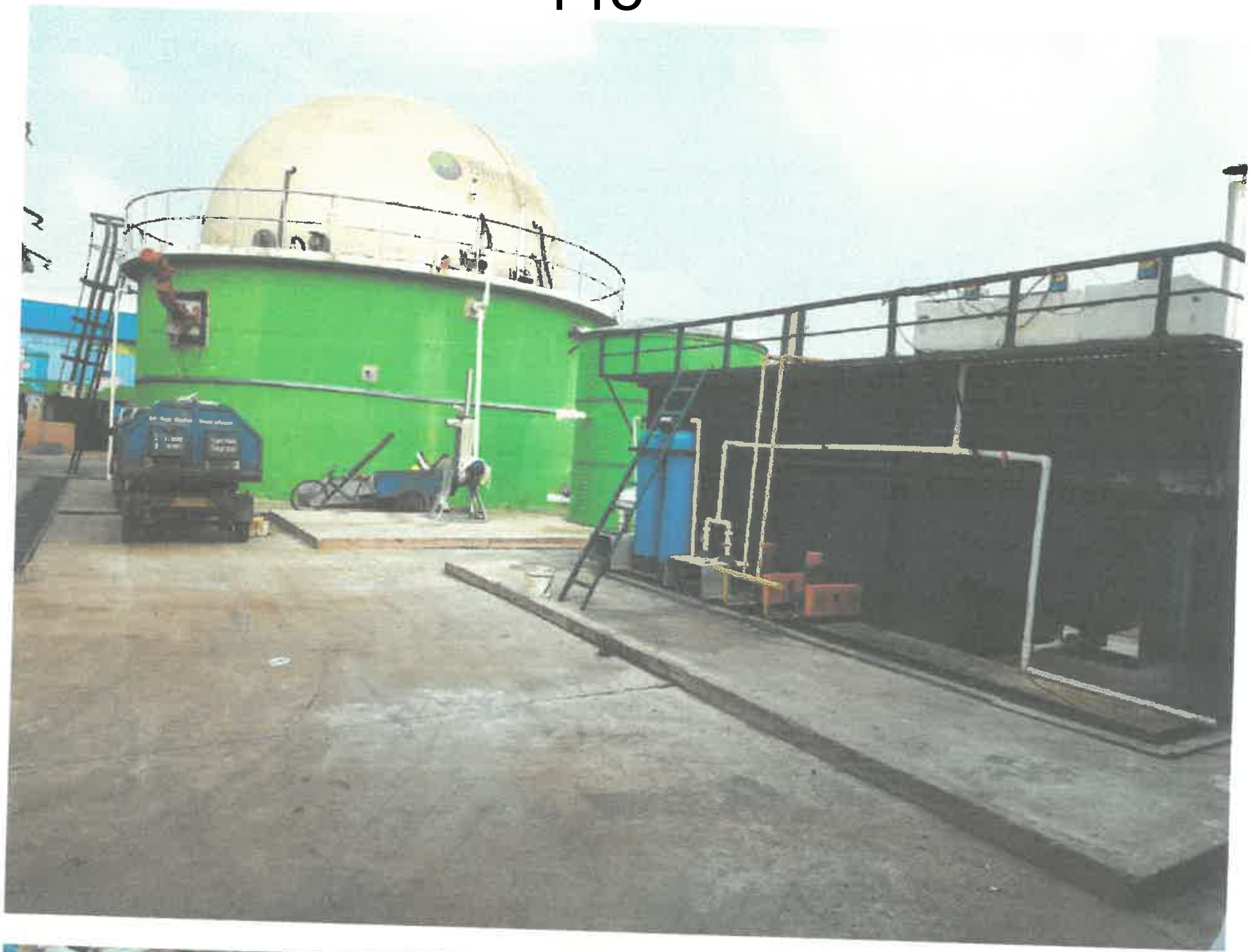

METHANE
BIO CNG

Annexure-5

Photograph of composting plant using as raw material of MSW 10 TPD at Sector- Mu, Greater Noida

का कचरा

PLASTIC
CARDBOARD
PAPER

Annexure-6

विषयः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–562/2024 अंशुमन उपाध्याय बनाम उ0प्र0 राज्य के सम्बन्ध में।

कृपया क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नौएडा के कार्यालय पत्र संख्या–651/एन.जी.टी.–78/2024, दिनॉक 20.09.2024 का संदर्भ लेना चाहें, जिसमें अस्थाई ठोस अपशिष्ट साईट लखनावली के सम्बन्ध में सूचना/आख्या चाही गयी है।

अवगत कराना है कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के क्षेत्रान्तर्गत जनित होने वाले कूड़े को अस्थाई रूप से ग्राम लखनावली के पास भूखण्ड संख्या–5 (क्षेत्रफल 1,72,904.737 वर्ग मी0) पर डम्प किये गये लीगेसी वेस्ट के निस्तारण का विवरण निम्नवत है–

प्रथम फेज–

- ग्राम लखनावली में प्रथम फेज के अन्तर्गत लगभग क्षेत्रफल 81319.270 वर्ग मी0 पर फैले हुए नगरीय ठोस अपशिष्ट की आंकलित किये गये लीगेसी वेस्ट की मात्रा 2,40,835.15 मीट्रिक टन के निस्तारण हेतु निविदाकार फर्म M/s AL Waste Bio Remediation LLP को अवार्ड किया गया था।

- उपरोक्त कार्य की प्रारम्भ तिथि 29.09.2021 एवं वास्तविक समापन तिथि 28.09.2023 थी।

- प्रथम फेज के अन्तर्गत अनुबन्धित फर्म को लीगेसी वेस्ट की मात्रा 2,42,087.83 मीट्रिक टन के निस्तारण के सापेक्ष धनराशि रू0 23,86,98,600.38 का भुगतान अप्रैल में किया जा चुका है।

- कार्य स्थल पर वास्तविक लीगेसी वेस्ट की मात्रा की माप के आधार पर 2,57,491.60 मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट का निस्तारण पूर्ण किया जा चुका है।

निस्तारित किये गये लीगेसी वेस्ट की कुल मात्रा (मीट्रिक टन)	आर0डी0एफ0 (मीट्रिक टन)	बायो स्वायल/मेन्योर जनरेशन (मीट्रिक टन)	इनर्ट वेस्ट (मीट्रिक टन)
2,57,491.60	33,791.00	1,35,523.86	20,140.30

- उपरोक्त वर्णित आर0डी0एफ0 (33,791 MT) का निस्तारण सीमेन्ट उघोगों (M/s ACC Kymore, Shoonya Disposal, JK Cement, Ambuja, Maa Durga, IL&FS etc., Rajasthan) के माध्यम से किया गया।

- बायो स्वायल/मेन्योर (1,35,523.86 MT)के निस्तारण हेतु जलपुरा गौशाला ग्रेटर नोएडा में भूमि भराव (क्षेत्रफल लगभग 5.00 Acre) व स्थानीय संविदाकार जैसे श्री संजय सिंह, श्री विपिन भाटी व श्री राहुल इत्यादि को ग्रेटर नोएडा के क्षेत्रान्तर्गत स्थानीय निर्माण हेतु दिया गया।

22

प्रशान्त समाधिया
प्रबन्धक, स्वास्थ्य
ग्रे० नो० औ० वि० प्रा०

- Inert Waste (20,140.30 MT) को सी एण्ड डी निस्तारित करने वाली संस्था मै0 राईज इलेवन ईकोटेक–3 ग्रेटर नोएडा एवं मै0 शिव हरी कन्सट्रैक्शन, अन्य संविदाकार द्वारा किया गया। उपरोक्त के अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा ग्राम हबीबपुर में भूमि भराव हेतु उपयोग किया गया।

द्वितीय फेज–

- द्वितीय फेज के अन्तर्गत ग्राम लखनावली के पास 91585.467 वर्ग मी0 में लीगेसी वेस्ट 222662.587 मीट्रिक टन माह दिसम्बर, 2022 में मै0 हबीब सर्वे एण्ड डिजाईन प्रा0लि0 के द्वारा सर्वेक्षण कर कुल 185552.156 घन मी0 आंकलित की गयी, जिसमें कूड़े की औसतन ऊंचाई 2.026 मी0 और कूड़े की बल्क घनत्व 1.2 ग्राम/सी0सी0 को मानते हुए कुल लीगेसी वेस्ट की मात्रा 222662.587 मीट्रिक टन प्राप्त हुई।

- ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत जनित हो रहे कूड़े को अस्थाई रूप से ग्राम लखनावली में डम्प किये जाने के दृष्टिगत माह दिसम्बर–2022 में सर्वेक्षण से अक्टूबर, 2024 तक की अवधि अर्थात 22 माह में एकत्रित होने वाले कूड़े का आंकलन 262 टन/दिन की दर से करते हुए अतिरिक्त एकत्रित होने वाले लीगेसी वेस्ट की मात्रा 1,72,920.00 मीट्रिक टन आंकलित की गयी, जिसके अनुसार कुल लीगेसी वेस्ट की मात्रा 3,95,582.58 मीट्रिक टन प्राप्त हुई।

- द्वितीय फेस में उक्त लीगेसी वेस्ट की मात्रा 3,95,582.58 मीट्रिक टन के निस्तारण हेतु सर्व न्युनतम निविदादाता फर्म M/s Bhoomi Green Engery को कार्यालय पत्र संख्या–स्वा0वि0/2024/852 दिनॉक 06.08.2024 के द्वारा कार्य अवार्ड किया जा चुका है।

- कार्य अवार्ड होने के उपरान्त उक्त फर्म को लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु आर0एफ0पी0 की शर्तानुसार 45 दिन की अवधि में टी0एण्ड0पी0/प्लान्ट स्थापित कर कार्य प्रारम्भ किया जाना है। वर्तमान में फर्म द्वारा 02 नग कॉप्लेन एक्स्वेटर एवं 01 नग जे0सी0बी0 एक्स्वेटर प्लान्ट के स्थापन और लीगेसी वेस्ट की विण्डोज के कार्य करने में कार्यरत है।

- द्वितीय फेस की आर0एफ0पी0/आगणन में लीगेसी वेस्ट के निस्तारण में लगने वाले समय व ग्राम अस्तौली में स्थाई रूप से लीगेसी वेस्ट के निस्तारण हेतु स्थापित होने वाली परियोजनाओं में लगने वाले समय के दृष्टिगत उक्त अवधि में जनित होने वाले लीगेसी वेस्ट की मात्रा लगभग 2.05 लाख मीट्रिक टन का प्रावधान किया गया है, जिसे अनुबन्धित फर्म द्वारा ही निस्तारित किया जाना है। जिससे ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्रान्तर्गत अन्य जगह लीगेसी वेस्ट एकत्रित न हो सके।

28

प्रशान्त समाधिया
प्रबन्धक, स्वास्थ्य
ग्रे० नो० औ० वि० प्रा०

- निविदादाता फर्म M/s Bhoomi Green Engery द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके द्वारा 06 नग ट्रॉमल एवं 02 नग लाईन, जे0सी0बी0 एवं पॉक्लेन का प्रयोग किया जाना है।

- संविदाकार फर्म M/s Bhoomi Green Engery द्वारा बार चार्ट उपलब्ध कराया गया है, जिसमें 6.00 लाख मीट्रिक टन लीगेसी वेस्ट को 15 माह की अवधि में पूर्ण किया जायेगा, अर्थात दिसम्बर 2025 तक कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा।

- ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के द्वारा स्थायी रूप से ग्राम अस्तौली में (126 एकड़) कूड़े को एकत्रित किया जाना है, जिसके निस्तारण के लिए वैज्ञानिक पद्धति के अनुसार 300 टी0पी0डी0 क्षमता का Torrified Charcoal Plant बनाने हेतु एन0टी0पी0सी0 के साथ एम0ओ0यू0 गठित किया जा चुका है एवं बाउण्ड्री वॉल एवं गेट का निर्माण पूर्ण भी हो चुका है।

- अग्रेत्तर अवगत कराना है कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्रान्तर्गत जनित नगरीय ठोस अपशिष्ठ के निस्तारण हेतु 18 मीट्रिक टन बायो सी0एन0जी0 एवं 10–10 मीट्रिक टन कम्पोस्टिंग की परियोजनायें संचालित हैं।

- उक्त के अतिरिक्त 300 TPD एवं 50 TPD कूडा निस्तारण हेतु प्लान्ट स्थापित किये जाने हेतु ई–निविदा प्रक्रिया में है, जिसकी ई–निविदा आमंत्रण सूचना पत्र की प्रति संलग्न है।

- नगरीय ठोस अवशिष्ठ स्थल, अस्तौली लैण्डफिल साईट पर कूडे के निस्तारण हेतु M/s NTPC द्वारा प्लांट लगाया जाना प्रस्तावित है, जिसका दिसम्बर 2025 तक संचालन सम्भावित है। उक्त साईट पर Torrified Charcoal Plant बनाने हेतु बैचिंग प्लांट स्थापना का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ग्रेटर नौएडा को सूचना प्रेषित है।

21/09/24
(प्रशान्त समाधिया)
प्रबन्धक (स्वास्थ्य)
प्रशान्त समाधिया
प्रबन्धक, स्वास्थ्य
ग्रे० नो० औ० वि० प्रा०

21/9/24
(मनोज कुमार)
सहा0 प्रबन्धक (स्वास्थ्य)

OA No 52 of 2024 anshuman Upadhyay vs State of UP

From: Pradeep Misra (pradeepmisra@yahoo.com)

To: anshumandeep.24@gmail.com; anshuman@lloylawcollege.edu.in

Date: Tuesday, September 24, 2024 at 02:13 PM GMT+5:30

Sir,
Please find attached the document

With Regards,

(PRADEEP MISRA)

Anshman Upadhyay.pdf
1.9MB

DocScanner 24-Sept-2024 1-42 pm (1).pdf
253.2kB